(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 02/2021

बउनवान

पूजा पाण्डे पत्नि श्री चन्दन पाण्डे जाति बंगाली निवासी नाटई तह0 शाहबाद जिला बाराँ
(अपीलांट)

बनाम

बाल विकास परियोजना अधिकारी, शाहबाद जिला बाराँ।
(रेस्पोडेन्ट)

अपील ग्राम नाटई आंगनबाड़ी केन्द्र 2 के लिए पुनः प्रार्थीया का चयन कर नियुक्ति देने

उपस्थित :– 1– श्री गोविन्द सिंह अभिभाषक (अपीलांट)
2– स्वयं उपस्थित (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 22.02.2021

यह अपील अपीलांट द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी, शाहबाद के कार्य–आदेश क्रमांक/स्थापना/2021/137–143 दिनांक 22.05.2020 से आंगनबाड़ी सहायिका चयन आदेश से अप्रसन्न होकर, अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 18.01.2021 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रकरण में स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में अपीलांट के अभिभाषक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। जो शामिल पत्रावली की जाकर प्रकरण में उभयपक्ष की विस्तृत एवं अंतिम बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील मेमो एवं लिखित बहस के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि निदेशालय समेकित बाल विकास सेवायें राजस्थान, जयपुर आदेश 1508 [illegible] 09.11.2016 की पालना में श्रीमान् उपनिदेशक महिला एवं [illegible] क्रमांक 6142 दिनांक 16.11.2019 के द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर रिक्त [illegible] के लिये विज्ञप्ति जारी की गयी थी, जिसके क्रम में सी.डी.पी.ओ. कार्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन व तुलनात्मक मूल्यांकन प्रपत्र तैयार कर योग्य महिला की [illegible] अभिशंषा ग्राम सभा प्रस्ताव कार्यवाही रजिस्टर में सी.डी.पी.ओ. कार्यालय द्वारा भिजवाये गये तुलनात्मक

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.04.10 16:15:07 IST
Reason: SelfAttested

मूल्यांकन प्रपत्र के आधार पर ग्राम पंचायत, नाटई द्वारा दिनांक 12.12.2019 को प्रार्थीया का चयन आंगनबाड़ी केन्द्र नाटई द्वितीय में सहायिका के पद पर किया गया था, क्योंकि प्रार्थीया के 10वीं कक्षा में 50 प्रतिशत अंक थे जो अन्य दो अभ्यर्थी दीपमाला व रंजना सरकार से ज्यादा थे। किन्तु बाद में अधिकारियों द्वारा मिली–भगत करके उक्त पद पर रंजना मांझी को नियुक्त कर दिया गया है। ग्राम सभा द्वारा चयन अनुमोदन हेतु फर्जी तरीके से मूल्यांकन पत्र दिनांक 21.05.2020 को तैयार कर तीनों आवेदकों के समान अंक का मूल्यांकन कर प्रार्थीया का चयन निरस्त कर अधिक आयु की आवेदिका को बिना किसी पूर्व सूचना व भर्ती निरस्त किये बिना फर्जी तरीके से चयन कर लिया गया है जिसमें नियमों व कानून का उल्लंघन किया है। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थीया ने माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के एस.बी. सिविल रिट नं0 14599/20 पेश की थी। जो इस निर्देश के साथ डिसमिस कर दी गई कि प्रार्थीया उक्त सम्बन्ध में श्रीमान् के यहाँ कार्यवाही पेश करें।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आंगनबाड़ी नाटई द्वितीय के सहायिका के पद पर प्रार्थीया का चयन बहाल करते हुए प्रार्थीया को उक्त पद पर नियुक्त किये जाने की कृपा करें।

रेस्पोडेन्ट द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि आंगनबाड़ी केन्द्र नाटई द्वितीय पर सहायिका के रिक्त पद पर चयन हेतु उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग बारां द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 16.11.2019 के अनुसार चयन किया जाना था। विज्ञप्ति अनुसार रिक्त पद के लिए 3 आवेदन फार्म प्राप्त हुएः– 1. श्रीमती रंजना सरकार, 2. श्रीमती दीपमाला, 3. श्रीमति पूजा पाण्डे। विभागीय चयन परिपत्र 150819 दिनांक 09.11.2016 के अनुसार कार्यालय द्वारा प्राप्त उक्त 3 आवेदनों की वरीयता सूची बनाकर निर्धारित ग्राम सभा दिनांक 17.12.2019 में चयन अनुमोदन के लिये भिजवाये गये। कार्यालय द्वारा बनाई गयी वरीयता सूची एवं तुलनात्मक विवरण पत्र में तीनों आवेदकों को समान अंक प्राप्त हुये थे। जिसके आधार पर विभागीय नियमानुसार अधिक आयु वाली आवेदक महिला का चयन कर ग्राम सभा में उसका अनुमोदन किया जाना था। ग्राम पंचायत नाटई द्वारा दिनांक 17.12.2019 की ग्राम सभा में नियमानुसार अधिक आयु वाली आवेदक रंजना मांझी पत्नी श्री कृष्णा मांझी के चयन की अनुशंषा के स्थान पर तीनों आवेदकों में से 10वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर श्रीमती पूजा पाण्डे पत्नि श्री चन्दन पाण्डे का चयन कर दिया गया जो नियम विरूद्ध गलत था। ग्राम पंचायत द्वारा नियम विरूद्ध गलत चयन करने पर श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता गठित ब्लॉक स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में प्रकरण रखकर सही चयन करवाना होता है जिसकी पालना में कार्यालय द्वारा दिनांक 21.05.2020 को आयोजित ब्लॉक स्तरीय निगरानी समिति में प्रकरण रखकर नियमानुसार श्रीमति रंजना मांझी पत्नि श्री कृ[illegible] का उक्त आंगनबाड़ी केन्द्र पर सहायिका के पद पर चयन की अभिशंषा [illegible]यी। समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार कार्यालय चयन आदेश क्रमांक–13[illegible] दिनांक 22.05.2020 जारी कर दिनांक 27.05.2020 को श्रीमति रंजना मांझी पत्नि श्री कृष्णा मांझी द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र नाटई द्वितीय पर उपस्थिति दी गई है ए[illegible] वर्तमान में कार्यरत है। प्रार्थीया द्वारा उक्त पद पर नियुक्ति हेतु की जा रही दावेदारी गलत है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि दायर वाद को निरस्त करने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.04.10 16:15:07 IST
Reason: SelfAttested

मेरे द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया जाकर मनन एवं विश्लेषण किया गया, जिससे पाया गया कि महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं प्रगति विवरण वर्ष 2018–19 के अध्याय– 12 के अनुसार दो या अधिक आवेदकों के बराबर अंक होने की स्थिति में अधिकतम आयु वाली महिला को वरीयता सूची में उच्च स्थान दिया जाऐगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी, शाहबाद का कार्य–आदेश क्रमांक/स्थापना/2021/137–143 दिनांक 22.05.2020 से आंगनबाड़ी सहायिका चयन नियमानुसार हीं जारी किया गया है। जिसमें यह न्यायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता है।

परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति0 जिला कलक्टर, बाराँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.04.10 16:15:07 IST
Reason: SelfAttested